भारत सरकार
गृह मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 245
दिनांक 24 जुलाई, 2024/ 02 श्रावन,1946 (शक) को उत्तर के लिए

नए आपराधिक कानूनों के तहत कठिनाइयां

245# श्री नीरज डांगीः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में हाल ही में अधिनियमित किए गए नए आपराधिक कानूनों के अंतर्गत राज्यों को किन-किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) उक्त आपराधिक कानूनों का पालन करवाने के लिए सरकार द्वारा पुलिस को दिए गए प्रशिक्षण का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) इन कानूनों के अंतर्गत कौन-कौन से नए परिवर्तन किये गए हैं; और

(घ) नए आपराधिक कानूनों के बारे में जनता को जागरूक करने के लिए सरकार द्वारा शुरू किए गए अभियानों और कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री बंडी संजय कुमार)

(क)और (ख): प्रथम अनुसूची में धारा 106 की उप-धारा (2) के प्रावधान के सिवाय भारतीय न्याय संहिता, 2023 (बीएनएस), भारतीय न्याय संहिता की धारा 106(2) से संबंधित प्रविष्टि के प्रावधानों के सिवाय भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (बीएनएसएस), और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 (बीएसए) के प्रावधान 1 जुलाई, 2024 से लागू हो गए हैं। सरकार ने 25 दिसम्बर, 2023 को तीन कानूनों की अधिसूचना के तुरंत बाद विभिन्न कदम उठाए हैं ताकि प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जा सकेऔर पुलिस, कारागार, अभियोजकों, न्यायिक, फॉरेंसिक कार्मिकों जैसे सभी स्टेकहोल्डरों के साथ-साथ आम लोगों के बीच जागरूकता पैदा की जा सके।

राज्य सभा अता. प्र.सं. 245 दिनांक 24.07.2024

भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (बीएसए) के कार्यान्वयन के लिए हितधारकों को प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

i. पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (बीपीआरएंडडी) ने हितधारकों अर्थात पुलिस, कारागार, अभियोजकों, न्यायिक अधिकारियों, फोरेंसिक विशेषज्ञों तथा केंद्रीय पुलिस संगठनों के क्षमता निर्माण के लिए 13 प्रशिक्षण मॉड्यूल विकसित एवं साझा किए हैं। बीपीआरएंडडी द्वारा केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी (सीएपीटी), भोपाल तथा कोलकाता, हैदराबाद, चंडीगढ़, जयपुर, गाजियाबाद और बेंगलुरु स्थित केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण संस्थानों (सीडीटीआई) के माध्यम से सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मास्टर ट्रेनर्स को प्रशिक्षित करने के लिए 'प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण' मॉडल को भी अपनाया गया है। बीपीआरएंडडी द्वारा अब तक 274 प्रशिक्षण पाठ्यक्रम/वेबिनार/सेमिनार भी आयोजित किए गए हैं और मास्टर ट्रेनर्स सहित 43150 अधिकारियों/कार्मिकों को प्रशिक्षण दिया गया है। बीपीआरएंडडी ने नए दांडिक कानूनों के कार्यान्वयन में क्षेत्रीय कार्मिकों द्वारा उठाए गए प्रश्नों के उत्तर देने और मुद्दों का समाधान करने के लिए कानून एवं पुलिस अधिकारियों की एक टीम के साथ मिलकर नियंत्रण कक्ष स्थापित किया है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने बीपीआरएंडडी के समन्वय में 8,40,465 अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया है, जिनमें 8,16,146 पुलिस अधिकारी तथा कारागार, फोरेंसिक, न्यायिक एवं अभियोजन पक्ष के कार्मिक शामिल हैं।

ii. आईजीओटी (iGOT)- कर्मयोगी भारत पोर्टल 21 फरवरी, 2024 से नए दांडिक कानूनों के संबंध में अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए तीन पाठ्यक्रम [बीएनएस, बीएनएसएस और बीएसए का परिचय] चला रहा है। इन पाठ्यक्रमों की समग्र स्थिति निम्नानुसार है:

- कम से कम एक पाठ्यक्रम पूरा करने वाले अधिकारी : 2,19,829,
- तीनों पाठ्यक्रम पूरा करने वाले अधिकारी : 1,72,970

iii. इसके अलावा, बीपीआरएंडडी ने फील्ड प्रैक्टिशनर्स के लिए आईजीओटी-कर्मयोगी भारत पोर्टल पर 3 नए पाठ्यक्रम [बीएनएस, बीएनएसएस और बीएसए पर अवलोकन] भी अपलोड किए हैं।

(ग): बीएनएस, बीएनएसएस और बीएसए के प्रावधानों के साथ-साथ आईपीसी, सीआरपीसी एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम (आईईए) के तदनुरूपी प्रावधान एनसीआरबी संकलन वेब एप्लीकेशन (www.https://ncrb.gov.in/uploads/SankalanPortal/Index.html) पर उपलब्ध हैं। नए दांडिक कानूनों की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं अनुलग्नक में दी गई हैं।

(घ): नए दांडिक कानूनों के बारे में आम लोगों को जागरूक करने के लिए सरकार द्वारा आयोजित जागरूकता कार्यक्रमों का ब्यौरा निम्नानुसार है:

i. प्रेस सूचना ब्यूरो (पीआईबी) ने नए दांडिक कानूनों से संबंधित एडवाइजरी, प्रेस रिलीज, इंफोग्राफिक्स आदि का प्रकाशन करके सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर प्रचार संबंधी विस्तृत उपाय किए हैं। पीआईबी ने नए दांडिक कानूनों की प्रमुख विशेषताओं पर चर्चा करने के लिए 27 राज्यों की राजधानियों में प्राथमिक रूप से क्षेत्रीय मीडिया के लिए वार्तालाप कार्यशालाएं भी आयोजित की हैं।

ii. ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन ने न्यूज बुलेटिन, कार्यक्रमों एवं चर्चाओं और सोशल मीडिया प्लेटफार्मों के माध्यम से नए दांडिक कानूनों पर कार्यक्रम/गतिविधियां आयोजित की हैं। विषय विशेषज्ञों के साथ चर्चाएं भी आयोजित की गईं। कार्यक्रमों के बीच में नए दांडिक कानूनों के ऊपर एक्सप्लेनर वीडियो भी चलाए गए।

iii. माईगव (MyGov) ने ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया वेबसाइट पर और माईगव के सभी सोशल मीडिया हैंडल के माध्यम से सूचना संदेश (इंफोरमेटिव फ्लायर्स) अपलोड किए हैं। आम नागरिकों की जागरूकता के लिए 19 फरवरी, 2024 को लगभग 7+ करोड़ लोगों को एक ईमेल भेजा गया। माईगव ने जागरूकता फैलाने और नागरिक सहभागिता के लिए 14 मार्च और 12 जून, 2024 को अपने प्लेटफार्म पर एक प्रश्नोत्तरी भी आयोजित की।

iv. यह सुनिश्चित करने के लिए कि आम नागरिक परिवर्तनकारी सुधारों के बारे में जागरूक हों और इसका आम नागरिकों, विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, पंचायती राज मंत्रालय ने संयुक्त रूप से 21 जून, 2024 को नए दांडिक कानूनों पर हिंदी में एक वेबिनार आयोजित किया, जिसमें जमीनी स्तर के लगभग 40 लाख कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। दिनांक 25 जून, 2024 को अंग्रेजी में एक दूसरा वेबिनार आयोजित किया गया है, जिसमें जमीनी स्तर के लगभग 50 लाख कार्यकर्ताओं ने भाग लिया।

v. नए दांडिक कानूनों के बारे में संकाय सदस्यों और विद्यार्थियों के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने 1,200 विश्वविद्यालयों और 40,000 कॉलेजों को सूचना संदेश (इंफोरमेटिव फ्लायर्स) परिचालित किए हैं और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) ने लगभग 9,000 संस्थानों को पत्र लिखे। उच्चतर शिक्षा संस्थानों ने विद्यार्थियों, संकाय सदस्यों और अन्य कर्मचारियों की व्यापक सहभागिता के साथ बड़े परिवर्तन को प्रदर्शित करते हुए 1 जुलाई, 2024 को नए दांडिक कानूनों के विभिन्न प्रावधानों पर केंद्रित समूह वार्तालापों, कार्यशालाओं, सेमिनारों और क्वीज सहित पूर्ण दिवसीय गतिविधियों का आयोजन भी किया है।

vi. विधिक कार्य विभाग ने नई दिल्ली, गुवाहाटी, कोलकाता, चेन्नई और मुम्बई में पांच सम्मेलन आयोजित किए है, जिनमें विभिन्न राज्यों की पुलिस, न्यायपालिका, अभियोजन, कारागार के प्रतिनिधियों और विशेषज्ञों ने भाग लिया।

vii. देश के सभी पुलिस स्टेशनों में 1 जुलाई, 2024 को एक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें हितधारकों और आम लोगों के लिए नए दांडिक कानूनों की प्रमुख विशेषताओं को रेखांकित करने वाली द्विभाषी पुस्तिका प्रदर्शित की गई।

******

राज्य सभा अता. प्र.सं. 245 दिनांक 24.07.2024
अनुलग्नक

नए दांडिक कानूनों की विशेषताएं

भारतीय नागरिकों के सशक्तिकरण की दिशा में नए दांडिक कानून एक महत्वपूर्ण पहल है। इन कानूनों का लक्ष्य प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक अधिक सुगम, सहायक और प्रभावकारी न्याय प्रणाली तैयार करना है। व्यक्तिगत अधिकारों और सुरक्षा देने वाले इन नए दांडिक कानूनों के महत्वपूर्ण प्रावधान निम्नलिखित हैं:

i. घटनाओं की रिपोर्ट ऑनलाइन करें: अब कोई भी व्यक्ति इलेक्ट्रॉनिक संचार के माध्यम से घटनाओं की रिपोर्ट कर सकता है और इसके लिए उसे पुलिस स्टेशन जाने की आवश्यकता नहीं है। इससे रिपोर्टिंग आसान और त्वरित हो जाती है, जिससे पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई की सुविधा मिलती है।

ii. किसी भी पुलिस स्टेशन पर एफआईआर दर्ज करें: जीरो एफआईआर की शुरुआत के साथ, कोई भी व्यक्ति किसी भी पुलिस स्टेशन पर प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज कर सकता है, चाहे उसका क्षेत्राधिकार कुछ भी हो। इससे कानूनी कार्यवाही शुरू करने में होने वाली देरी खत्म हो जाती है और अपराध की तुरंत रिपोर्ट करना सुनिश्चित होता है।

iii. एफआईआर की निःशुल्क प्रति: पीड़ितों को एफआईआर की निःशुल्क प्रति प्राप्त होगी, जिससे कानूनी प्रक्रिया में उनकी भागीदारी सुनिश्चित होगी।

iv. गिरफ्तारी के समय सूचना देने का अधिकार: गिरफ़्तारी की स्थिति में, व्यक्ति को अपनी पसंद के व्यक्ति को अपनी स्थिति के बारे में सूचित करने का अधिकार है। इससे गिरफ्तार व्यक्ति को तत्काल सहायता और सहयोग सुनिश्चित होगा।

v. गिरफ्तारी की जानकारी का प्रदर्शन: गिरफ्तारी का विवरण अब पुलिस थानों और जिला मुख्यालयों में प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाएगा, जिससे गिरफ्तार व्यक्ति के परिवार और मित्रों को महत्वपूर्ण जानकारी तक आसानी से पहुंच मिल सकेगी।

vi. फोरेंसिक साक्ष्य संग्रह और वीडियोग्राफी: मामले को मजबूत करने और जांच के लिए, फोरेंसिक विशेषज्ञों के लिए गंभीर अपराधों के लिए अपराध स्थलों का दौरा करना और साक्ष्य एकत्र करना अनिवार्य हो गया है। इसके अतिरिक्त, साक्ष्यों से छेड़छाड़ को रोकने के लिए अपराध स्थल पर साक्ष्य संग्रह की प्रक्रिया की अनिवार्य रूप से वीडियोग्राफी की जाएगी । यह दोहरा दृष्टिकोण जांच की गुणवत्ता और विश्वसनीयता को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाता है और न्याय के निष्पक्ष प्रक्रिया में योगदान देता है।

vii. त्वरित जांच: नए कानूनों में महिलाओं और बच्चों के प्रति अपराधों की जांच को प्राथमिकता दी गई है, जिससे सूचना दर्ज होने के दो महीने के भीतर जांच पूरी होना सुनिश्चित हो सके।

viii. पीड़ितों को प्रगति संबंधी अपडेट: पीड़ितों को 90 दिनों के भीतर अपने मामले की प्रगति के बारे में अपडेट प्राप्त करने का अधिकार है। यह प्रावधान पीड़ितों को सूचित रखता है और उन्हें कानूनी प्रक्रिया में शामिल करता है, जिससे पारदर्शिता और विश्वास बढ़ता है।

ix. पीड़ितों के लिए निःशुल्क चिकित्सा उपचार: नए कानून सभी अस्पतालों में महिलाओं और बच्चों के प्रति अपराध के पीड़ितों को निःशुल्क प्राथमिक उपचार या चिकित्सा उपचार की गारंटी देते हैं। यह प्रावधान चुनौतीपूर्ण समय के दौरान पीड़ितों के स्वास्थ्य और रिकवरी को प्राथमिकता देते हुए आवश्यक चिकित्सा देखभाल तक तत्काल पहुँच सुनिश्चित करता है।

x. इलेक्ट्रॉनिक समन: अब समन इलेक्ट्रॉनिक रूप से भेजे जा सकते हैं, जिससे कानूनी प्रक्रियाओं में तेजी आएगी, कागजी कार्रवाई कम होगी और सभी संबंधित पक्षों के बीच कुशल संचार सुनिश्चित होगा।

xi. महिला मजिस्ट्रेट द्वारा बयान: महिलाओं के प्रति कुछ विशेष अपराधों के मामले में, पीड़िता के बयान, जहां तक संभव हो, महिला मजिस्ट्रेट द्वारा तथा उसके अनुपस्थित होने की स्थिति में एक महिला की उपस्थिति में पुरुष मजिस्ट्रेट द्वारा दर्ज किए जाने चाहिए, ताकि संवेदनशीलता और निष्पक्षता सुनिश्चित की जा सके तथा पीड़ितों के लिए सहायक वातावरण बनाया जा सके।

xii. पुलिस रिपोर्ट और अन्य दस्तावेजों की आपूर्ति: आरोपी और पीड़ित दोनों को 14 दिनों के भीतर एफआईआर, पुलिस रिपोर्ट/आरोपपत्र, बयान, स्वीकारोक्ति और अन्य दस्तावेजों की प्रतियां प्राप्त करने का अधिकार है।

xiii. सीमित स्थगन: मामले की सुनवाई में अनावश्यक देरी से बचने के लिए न्यायालय अधिकतम दो स्थगन प्रदान करते हैं, जिससे समय पर न्याय सुनिश्चित होता है।

xiv. गवाह संरक्षण योजना: नए कानूनों में सभी राज्य सरकारों को गवाहों की सुरक्षा और सहयोग सुनिश्चित करने, कानूनी कार्यवाही की विश्वसनीयता और प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए गवाह संरक्षण योजना को कार्यान्वित करने का निर्देश दिया गया है।

xv. जेंडर समावेशिता: "जेंडर" की परिभाषा में अब ट्रांसजेंडर व्यक्ति भी शामिल हैं, जो समावेशिता और समानता को बढ़ावा देता है।

xvi. सभी कार्यवाहियां इलेक्ट्रॉनिक मोड में: सभी कानूनी कार्यवाहियां इलेक्ट्रॉनिक रूप से संचालित करके, नए कानून पीड़ितों, गवाहों और अभियुक्तों को सहूलियत प्रदान करते हैं, जिससे पूरी कानूनी प्रक्रिया सुव्यवस्थित और त्वरित हो जाती है।

xvii. बयानों की ऑडियो-वीडियो रिकॉर्डिंग: पीड़िता को अधिक सुरक्षा प्रदान करने तथा बलात्कार के अपराध से संबंधित जांच में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए, पुलिस द्वारा पीड़िता का बयान ऑडियो-वीडियो माध्यम से रिकॉर्ड किया जाएगा।

xviii. पुलिस स्टेशन जाने से छूट: महिलाओं, 15 वर्ष से कम आयु के किशोरों, 60 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों तथा दिव्यांग या गंभीर रूप से बीमार व्यक्तियों को पुलिस स्टेशन जाने से छूट दी गई है।

xix. महिलाओं और बच्चों के प्रति अपराध: महिलाओं और बच्चों के प्रति अपराधों पर ध्यान देने तथा केंद्रित-सुरक्षा और न्याय सुनिश्चित करने के लिए बीएनएस में विशेष रूप से एक नया अध्याय जोड़ा गया है।

xx. जेंडर-न्यूट्रल अपराध: महिलाओं और बच्चों के प्रति विभिन्न अपराधों को बीएनएस में जेंडर-न्यूट्रल बना दिया गया है, जिसमें जेंडर की परवाह किए बिना सभी पीड़ितों और अपराधियों को शामिल किया गया है।

xxi. सामुदायिक सेवा: नए कानूनों में छोटे अपराधों के लिए सामुदायिक सेवा की शुरुआत की गई है, जिससे व्यक्ति के व्यक्तिगत विकास और सामाजिक जिम्मेदारी को बढ़ावा मिलता है। सामुदायिक सेवा के अंतर्गत, अपराधियों को समाज में सकारात्मक योगदान देने, अपनी गलतियों से सीखने और मजबूत सामुदायिक बंधन बनाने का मौका मिलता है।

xxii. अपराधों के लिए जुर्माने में समानता: नए कानूनों के तहत, कुछ अपराधों के लिए लगाए गए जुर्मानों को अपराध की गंभीरता के अनुरूप बनाया गया है, ताकि निष्पक्ष और आनुपातिक दंड सुनिश्चित किया जा सके, भविष्य में अपराध करने से रोका जा सके तथा जनता का कानूनी प्रणाली में विश्वास बना रहे।

xxiii. सरलीकृत कानूनी प्रक्रियाएं: कानूनी प्रक्रियाओं को सरल बनाया गया है ताकि उन्हें समझना और उनका पालन करना आसान हो सके, जिससे निष्पक्ष और सुलभ न्याय सुनिश्चित हो सके।

xxiv. त्वरित एवं निष्पक्ष समाधान: नए कानून मामलों के शीघ्र एवं निष्पक्ष समाधान का वादा करते हैं, जिससे कानूनी प्रणाली में विश्वास पैदा होता है।

******